न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. : 07 / 2006
दायरा तिथि : 04.03.2006
निर्णय तिथि : 01.09.2016

वादीगण	बनाम :	प्रतिवादीगण

वादीगण

स्वर्गीय जुहारसिंह पुत्र शिवनाथसिंहजी के कायम मुकाम वारिसान :
1.1 स्वर्गीय सदनो बाई बेवा जुहारसिंहजी के का0मु0वारिस –
1.2 स्वर्गीय भॅवरसिंह पुत्र जुहारसिंह जी के का0मु0 वारिस –
1.2.1 नरपतसिंह पुत्र भॅवरसिंहजी
1.2.2 जगदीश कुमार पुत्र भॅवरसिंहजी
1.2.3 सुरेशसिंह पुत्र भॅवरसिंहजी
1.2.4 सुमित्रा कंवर पुत्री भॅवरसिंहजी
1.3 शंकरसिंह पुत्र जुहारसिंहजी
1.4 बिहारीलाल पुत्र जुहारसिंहजी
1.5 गुलाब कंवर पुत्री जुहारसिंहजी
1.6 सोनी कंवर पुत्री जुहारसिंहजी
2. स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवनाथसिंहजी के कायम मुकाम वारिसान :
विमलसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंहजी
3. स्वर्गीय जयसिंह पुत्र शिवनाथसिंहजी के कायम मुकाम वारिसान :
सुगनसिंह पुत्र जयसिंहजी
4. भुरसिंह पुत्र षिवनाथसिंहजी
. तमाम जाति राजपुरोहित,
निवासीगण–ढोला शासन, तहसील सुमेरपुर , जिला–पाली (राजस्थान) ।

बनाम :

प्रतिवादीगण

1. स्वर्गीय भोपालसिंह पुत्र चतुर्भुजजी के कायम मुकाम वारिसान
1.1 सोहनसिंह पुत्र भोपालसिंहजी,
1.2 चम्पालाल पुत्र भोपालसिंहजी,
1.3 नारायणसिंह पुत्र भोपालसिंहजी,
1.4 रामसिंह पुत्र भोपालसिंहजी,
1.5 वख्तावरसिंह पुत्र भोपालसिंहजी,
1.6 जशोदा पुत्री भोपालसिंहजी,
1.7 भंवरी पुत्री भोपालसिंहजी,
1.8 गीता पुत्री भोपालसिंहजी,
1.9 फूली बेवा भोपालसिंहजी,
तमाम जाति राजपुरोहित,
निवासीगण–ढोला शासन,
तहसील सुमेरपुर
2. अचलदास पुत्र पुनमदासजी
3. अन्सी बेवा पुनमदासजी
4. प्रेमदास पुत्र गणेशदासजी
5. सेवादास पुत्र गणेशदासजी
6. घीसुदास पुत्र गणेशदासजी
7. मुस्मात पाबू बेवा गणेशदासजी
8. स्वर्गीय छोगा पुत्र नाथाजी के कायम मुकाम वारिसान –
8.1 सोहनदास पुत्र छोगाजी
8.2 बसन्ती पुत्री छोगाजी
8.3 शांति पत्नि छोगाजी
तमाम जाति साद,
निवासीगण–ढोला शासन,
तहसील सुमेरपुर
9. मुस्मात सुमटी बेवा प्रतापजी
जाति पुरोहित
निवासी ढोला शासन
10. स्वर्गीय बाबुडा पुत्र सदाजी के कायम मुकाम वारिसान –
10.1 पेमाराम पुत्र बाबुडाजी
10.2 टीलाराम पुत्र बाबुडाजी
11 हीरका पुत्र सदाजी,
12 जाना उर्फ ओटा पुत्र सदाजी
13 नेना उर्फ गेना पुत्र सदाजी
तमाम जाति मीणा,
निवासीगण–ढोला शासन,
तहसील सुमेरपुर
14. हरीसिंह पुत्र भेराजी,
जाति–पुरोहित,
निवासी–ढोला शासन, तह0सुमेरपुर
15. राजस्थान सरकार,
जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार पेज –2 ....

Scanned by CamScanner

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट , 1955

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल सोनी, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/9 किशोर खण्डेलवाल उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 15 सरकारी पेरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 01.09.2016

1. उपरोक्त प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी संख्या एक, दो, तीन व चार, चारो भाई थे जिनकी खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ढोला जागीर में आई हुई स्थित थी जिसमें वादीगण का 5/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 14 हरीसिंह पुत्र भेराजी का 5/12 हिस्सा था जिस पर इन्ही हिस्सो मुताबिक दोनों पक्षकार काबिज होकर काश्त करते आ रहें हैं जिस भूमि के हाल सेटलमेन्ट सम्वत 2037 के पूर्व पुराने खसरा नम्बर 126, 132, 133 व 134 रकबा क्रमशः 57 बीगा, 1 बीगा 11 बिस्वा, 7 बिस्वा, 7 बिगा 19 बिस्वा कुल रकबा 66 बीगा 17 बिस्वा थे जिसके हाल सेटलमेन्ट सम्वत 2037 के बाद नये खसरा नम्बर 211, 212, 213, 214, 215, 216, 224, 225, 226, 236 रकबा क्रमश : 0.23 हैक्टर, 0.01 हैक्टर, 0.04 हैक्टर, 1.40 हैक्टर ,0.75 हैक्टर, 0. 56 हैक्टर, 1.83 हैक्टर, 2.00 हैक्टर, 0.73 हैक्टर, 0.57 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 8.12 हैक्टर हुये हैं।
2. वादीगण ने यह भी वर्णित किया है कि उपरोक्त कृषि भूमि हाल सेटलमेन्ट के पूर्व बनी अन्तिम जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2030 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1 द्वारा जुहारसिंह, भुरसिंह, लिछमसिंह, जयसिंह के 1/2 हिस्से में एवं प्रतिवादी संख्या 14 हरीसिंह के पिता भेरा पुत्र वना के 1/2 हिस्से में दर्ज की गई उपरोक्त अनुसार हाल सेटलमेन्ट के बाद राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किये गये वादी स्वर्गीय जुहारसिंह, स्वर्गीय लिछमसिंह, जयसिंह , भुरसिंह पिसरान शिवनाथसिंह ने एवं संशोधित शीर्षक के बाद बने प्रतिवादी संख्या 14 के पिता भेरा पुत्र वना ने संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर जरिये बैचाननामा के तारीख 29–05–1959 को उस समय के खातेदारान से उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1 (एक) पटवारी हल्का ढोला द्वारा तारीख 22–03--1960 को भरा गया, जो ग्राम पंचायत ढोला ने तारीख 13–06–1960 को स्वीकृत किया जिस नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 में पटवारी हल्का द्वारा तारीख 14–06–1960 को किया गया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 में हुये इन्द्राज को आगे की जमाबन्दीयों में दर्ज नहीं किया तथा भूमि मूल खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड में चलती रही । सम्वत् 2028 से 2030 की जमाबन्दी में वापस खरीददार का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1 (एक) द्वारा इन्द्राज किया गया इस इन्द्राज के पूर्व जमाबन्दी में निम्न इन्द्राज दर्ज था "चतुरभुज पुत्र मुकना, गुमानींग पुत्र जावतींग पु. 1/6, गेना, बाबुडा, भुरा, हीरका, जोरा पि. सदा मैणा 1/6, पुनमदास पुत्र गणेषदास साद 1/3, प्रताप पुत्र प्रभुदास पु. 1/6, छोगला पुत्र नाथा 1/6 साद साकिन देह खातेदार "। वर्ष 1959 के तमाम खातेदारों ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वज भेरा पुत्र वना के नाम वादग्रस्त भूमि को आधे आधे हिस्से में बैचान कर दिया था ओर बैचाननामा भी तकमील हो गया था लेकिन शायद 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 से 13 के पूर्वज सदा पुत्र मुकना जाति मेणा के नाम दर्ज होने से अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से राजस्व रेकर्ड में 1/6 हिस्सा भूमि बाबत नामान्तरकरण संख्या एक का विवाद मानते हुये इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में से बाद में किसी प्रकार से हटा दिया था जिसका इन्द्राज आगे से आगे जमाबन्दियों में नहीं किया जा सका है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज)

लगातार पेज –3

Scanned by CamScanner

3. वादी ने कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या एक लगाय नौ ने वादग्रस्त भूमि में 5/12 हिस्से में अपना नाम दर्ज करवा दिया एवं 5/12 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 15 जो बाद में 14 हुआ है अपने नाम का इन्द्राज करवा दिया तथा शेष 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 से 13 जो मीणा जाति के थे उन लोगो के नाम खातेदारी में इन्द्राज करवा दिया। सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त गलत इन्द्राज करवाने के बाद प्रतिवादीगण की वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। जिस कारण वादीगण ने उपरोक्त वाद प्रतिवादीगण संख्या एक लगाय 15 के विरूद्ध पेश किया हैं।

4. वादीगण ने वाद पहले प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 स्वर्ण जाति के तथा 10 लगाय 14 मीणा जाति के व प्रतिवादी संख्या 15 स्वर्ण जाति के हरीसिंह को पक्षकार बनाते हुये एवं प्रतिवादी संख्या 16 भूमिधारी को प्रतिवादी बनाते हुये वाद पेश किया था, लेकिन बाद में मीणा जाति के प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 10 नेना लाऔलाद मृत्यु होने से उनके वारिसान को पक्षकार बनाने के बाद न्यायालय के आदेश दिनांक 10–06–2011 की अनुपालना मे संशोधित शीर्षक पेश किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 16 की जगह प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 15 हुये है।

5. कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पेश करने व दायर होने के बाद प्रतिवादीगण तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/9 ने इकबाली जबाब मय अपने अधिवक्ता कांतिलाल सोनी के मार्फत पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 9, 15 की तरफ से प्रार्थना–पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13 बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने से तारीख 15–04–2006 को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बाद में विभिन्न पेशीयों पर वादीगण व प्रतिवादीगण की मृत्यु होने पर नियमानुसार आदेश पारित कर उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया एवं तलबी की गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/9 के अलावा किसी ने जबाब दावा पेश नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 7, 9, 14 की ओर से श्री किशोर कुमार खण्डेलवाल ने पूर्व मे वकालतनामा पेश किया था जिन्होने अपनी ओर से तारीख 31–03–2016 को नो इन्स्ट्रेक्सन न्यायालय में पेश किये जिस कारण इन प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

6. वाद–पत्र व जबाब दावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात बनाई गई :–

1. आया मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 211, 212, 213, 214, 215, 216, 224, 225, 226, 236 कुल खसरा 10 कुल रकबा 8.12 हैक्टर के 5/12 हिस्से के खातेदारी हक वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

2. आया उपरोक्त भूमि बाबत वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारीहै ?

3. अनुतोष ?

7. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में एवं तनकीयात को साबित करने हेतु अपनी तरफ से गवाह पी.डब्लू–1 नरपतसिंह, पी.डब्लु–2 शंकरसिंह, पी.डब्लू–3 विमलसिंह, के बयान दर्ज करवाये तथा दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 9 को प्रदर्षित करवाया। वकुलाय की बहस सुनी व न्यायालय द्वारा तनकीयात का विश्लेषण विवेचन व निष्कर्ष बिन्दुवार इस प्रकार हैं :–

<u>तनकी संख्या एक</u> को साबित करने हेतु वादीगण अपनी ओर से पी.डब्लू–1 नरपतसिंह के बयान करवाये जिसमें नरपतसिंह ने कथन किया कि वादीगण के पूर्वज शिवनाथसिंह जी के चार लडके थे जो जुहारसिंह, लक्ष्मणसिंह, जयसिंह, भुरसिंह थे जिसमें से भुरसिंह के अलावा तीनो लडको की मृत्यु हो चुकी हैं। जुहारसिंह की पत्नि सदनो बाई की मृत्यु वाद पेश करने के बाद हो गई, जुहारसिंह के पुत्र भॅवरसिंह व जयसिंह पुत्र शिवनाथसिंह की मृत्यु भी वाद पेश करने के बाद हुई है। जिनके कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये। गवाह ने यह भी कथन किया कि शिवनाथसिंह के वारिसान का ग्राम ढोला जागीर में

लगातार पेज – 4

खण्ड अधिकारी
पुर, जिला-पाली (राज)

स्थित हाल खसरा नम्बर 211, 212, 213, 214, 215, 216, 224, 225, 226, 236 कुल खसरा 10 कुल रकबा 8.12 हैक्टर पर वादीगण का 5/12 हिस्सा खातेदारी का रहा हैं तथा 5/12 हिस्सा हरीसिंह पुत्र भेराजी पुरोहित प्रतिवादी संख्या 14 का रहा हैं। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 126, 132, 133, 134 कुल रकबा 66 बीगा 17 बिस्वा भूमि होना बताया गया हैं । गवाह ने यह भी कथन किया की हाल सेटलमेन्ट सम्वत 2037 के पूर्व की अन्तिम जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2030 में नामान्तरकरण संख्या एक द्वारा जुहारसिंह, भुरसिंह, लिछमणसिंह, जयसिंह के 1/2 हिस्से में व प्रतिवादी संख्या 14 के पिता भेरा पुत्र वना के 1/2 हिस्से में दर्ज थी उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 14 के पिता के साथ बहिस्सा बराबर जरिये बैचाननामा दिनांक 29-05-1959 को खरीद की थी जिसका नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 22-03-60 को भरा गया जो ग्राम पंचायत ढोला द्वारा तारीख 13-06-60 को स्वीकृत किया गया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 में पटवारी हल्का द्वारा तारीख 14-06-1960 को किया गया लेकिन बाद में उक्त इन्द्राज आगे से आगे दर्ज नहीं हुआ लेकिन सम्वत 2028 से 2030 की जमाबन्दी में नामान्तरकरण का इन्द्राज हुआ है । गवाह ने यह भी कथन किया की वर्ष 1959 में तमाम खातेदारो ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14 के पिता को बहिस्सा बराबर आधे आधे हिस्से का बैचाननामा कर रजिस्ट्री करवाई थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 10 से 14 बाद में प्रतिवादी संख्या 10 से 13 के पूर्वज जो मीणा जाति के थे उनका 1/6 हिस्सा दर्ज होने से उनका नाम नही हटा जिस कारण शायद जमाबन्दी के इन्द्राज हटा दिये गये लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारीयों से मिलावट कर प्रतिवादी संख्या एक लगाय नौ स्वर्गीय भोपालसिंह पुत्र चतुरभुज वगैरा ने नये राजस्व रेकर्ड में अपना 5/12 हिस्सा दर्ज करवा दिया जबकि चतुरभुज पुत्र मुकनाजी एवं गुमनींग पुत्र जावतींग ने अपना हिस्सा 1959 में बैचान कर दिया था इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 5/12 तथा प्रतिवादी संख्या 14 का 5/12 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज होना था लेकिन गलती से वादीगण का खातेदारी में 5/12 के रूप में इन्द्राज दर्ज नही होने से वादीगण को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार नही मान रहें है। हमनें राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया प्रदर्श 2 जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या एक के अनुसार 1/2 हिस्से में वादीगण के पूर्वजो का नाम व 1/2 हिस्से भेरा पुत्र वना जो प्रतिवादी संख्या 15 बाद में 14 दर्ज हुआ है के पिता का नाम दर्ज रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट के बाद की वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श एक में प्रतिवादी संख्या 14 हरीसिंह पुत्र भेरा का 5/12 हिस्से में बहैसियत खातेदार नाम दर्ज है लेकिन वादीगण की जगह प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय 13 का नाम दर्ज है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 10 लगाय 13 जो मेणा जाति के व्यक्ति है उनका 1/6 हिस्सा बदस्तुर रहता है तो भी प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 की जगह वादीगण के नाम का इन्द्राज कानूनन 5/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था जो सेटलमेन्ट के दौरान नहीं किया गया । मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया तो पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर का मिलान सही होना पाया गया । वादीगण की शहादत से यह तथ्य सामने आया कि नामान्तरकरण संख्या एक की प्रति उपलब्ध नहीं है। जिस कारण उनके द्वारा प्रदर्शित करवाई गई फोटो प्रति का अवलोकन किया गया तो पाया गया की नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ जिसमें आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वज के साथ वादीगण के पूर्वजों का दर्ज हुआ था लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वज ने 1/6 हिस्सा मीणा जाति के लोगो का बहाल रखते हुये अपना 5/12 हिस्सा दर्ज करवा दिया तथा 5/12 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम का इन्द्राज दर्ज रह गया जबकि साक्ष्य से यह साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 9 के पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि के अपने हिस्से को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वजों को बहिस्सा बराबर बैचान कर दिया था तथा मौके पर कब्जा भी इन प्रतिवादीगण का नहीं रहा है। इस प्रकार गवाह पी.डब्लू 1

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार पेज -5

Scanned by CamScanner

नरपतसिंह पी.डब्लू–2 शंकरसिंह व पी.डब्लू–3 विमलसिंह की साक्ष्य के विरोधाभाशी अन्य कोई कथन नहीं होने से इन गवाहान के बयान को नहीं मानने का कोई कारण भी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/9 ने वाद–पत्र में अपना इकबाली जबाब प्रस्तुत किया है ऐसी परिस्थिति में वादीगण तनकी संख्या एक को साबित करने में सफल रहें है। जिस कारण तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> के बारे में साक्ष्य का अवलोकन किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर भी गौर किया गया । पत्रावली पर जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आई है उससे यह प्रमाणित है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि के 5/12 हिस्से पर वर्ष 1959 से आज दिन तक लगातार कब्जा व काश्त बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक चला आ रहा है ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी के घोषित होने वाले 5/12 हिस्से में दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार नही बनता हैं। ऐसी परिस्थिति में तनकी संख्या दो वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3</u> अनुतोष के रूप में है। चूँकि वादीगण ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी संख्या एक व दो को अपने पक्ष में साबित कर लिया है जिस कारण वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अत : उल्लेखित विवाघक बिन्दुओं पर किये गये विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के प्रमाण स्वरूप वादीगण का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा ढोला जागीर के हाल खसरा नम्बर 211 रकबा 0.23 हैक्टर खसरा नम्बर 212 रकबा 0.01 हैक्टर बेरा, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.04 हैक्टर सडा, खसरा नम्बर 214 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 224 रकबा 1.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 225 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.57 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 8.12 हैक्टर वार्षिक लगान रूपये 88.60 का वादीगण को बतौर 5/12 हिस्से का खातेदार विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से 9 (नौ) घोषित किया जाता है, साथ ही वादीगण को उक्त खातेदारी कृषि भूमि से प्रतिवादीगण या उनका कोई प्रतिनिधि किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी या हस्तक्षेप नहीं करे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में पारित की जाती हैं । तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का ढोला उपरोक्त निर्णय /डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 01–09–2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner